

है। अतः प्रकृत प्रमाणों को ध्यान में रखकर फैसला किया गया है। पक्षकारान दिनांक 25.5.17 को लोक अदालत के समक्ष उपस्थित रहें।

25.5.17

पत्रा- राजसूय लोक अदालत के गैर बगलई में पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी ने उक्त पत्रा होकर राजीनामा पेश किया। वादवादी राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाकर प्रतिवादी को रक्षा निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह ख.नं. 2030 रकम 0.99 हे. ग्राम बगलई के कच्चे कभरत, उपयोग उपयोग में लाया/उत्पन्न नहीं करे। पत्रा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसला हुआ होकर नंबर से काम हो एवं बाद तकमील जमा जिला इन्जिनेरिंग हो।

Handwritten signature and a blue ink fingerprint.

[Signature]
सदस्य
लोक अदालत
दजीरपुर

[Signature]
सदस्य
लोक अदालत
दजीरपुर

[Signature]
अध्यक्ष
लोक अदालत
दजीरपुर

र
मु
वा
नि
निं
कब
पाल

- 1 वादप
- 2 शक्ति
- 3 प्रदर्श
- 4
- 5 साक्षि
- 6 कमिश्
- 7 आदेशि